यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, (चमोली) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, (चमोली), के माह 09/2014 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पवन कुमार, एवं सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राजकुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31.10.2017 से 03.11.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- राजकीय महाविद्यालय घाट, जिला मुक्यालय गोपेश्वर से 40 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। महाविद्यालय एन0एच0-58 से 22 कि0मी0 की दूरी पर, दुर्गम पहाडी इलाके में स्थित है।

राजकीय महाविद्यालय घाट, चमोली के अन्तर्गत (तहसील) विकास नगर घाट में स्थित है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	08.51	07.42	--	01.08	01.14	01.11	--	00.03
2015-16	--	--	20.51	20.43	--	00.08	04.70	03.58	--	01.12
2016-17	--	--	22.02	17.41	--	04.61	12.98	12.60	--	00.38
2017-18 (09/2017)	--	--	12.41	04.59	--	07.82	08.09	02.49	--	05.60

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः

लागू नही

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (09/2017)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून 2. उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी 3. उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी 4. प्राचार्य, रा. महाविद्यालय, घाट, चमोली

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 09/2014 से 09/2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, (चमोली), के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, (चमोली), की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2016 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **01** :- प्रतिभूमि राशि छात्रों को वापस नहीं किया जाना तथा सम्बन्धित निधि का पारदर्शी रखरखाव नहीं किया जाना।

कार्यालय राजकीय महाविद्यालय घाट की लेखापरीक्षा में पाया गया कि महाविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र 2014-15 में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ प्रथम सत्र में दाखिला लिये छात्रों के कोर्स पुरे हो चुके थे तथा वे महाविद्यालय छोड़ चुके थे परंतु उनके द्वारा जमा प्रतिभूति राशि जिसे नियमतः वापस किया जाना चाहिए था, परंतु अभिलेखों की जांच में वापसी राशि शून्य पायी गयी तथा संबंधित शुल्क की खाता सं0-7955000100005594 (पी0एन0बी0) में अद्यतन तिथि तक अवशेष राशि रू 53507/- पड़ी हुई पायी गयी।

इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि छात्रों द्वारा कोई भी आवेदन नही किया गया है। जिस कारण कॉशन मनी की धनराशि खाते में जमा है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया जब छात्रों द्वारा कॉशन मनी वापसी के लिए एक भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी थी कि इस दिशा में पहल कर छात्रों की संज्ञान में लाने के लिये समय-समय पर जारी नोटिस से अवगत कराया जाना चाहिए था, परंतु इकाई द्वारा इस प्रकरण में उदासिनता दर्शायी गयी, फलतः धनराशि खाते में अप्रयुक्त पायी गयी। साथ ही लेखा परीक्षा के उद्देश्य से अभिलेखों में आवधिक बचत तथा लौटायी जाने वाली राशि का वर्गीकरण का उचित रखरखाव किया जाना नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

प्रस्तर **01** :- कार्यालय द्वारा धनराशि रू **3.46** लाख की विभागीय प्राप्तियों की प्रविष्टी रोकड़ बही में नही किए जाना।

वित्तीय हस्तुपस्तिका (Volume-V, Part-1) के नियम- 26 अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "Government Servants receiving money on behalf of the Government must give the payer a receipt in form no. i. The amount should be entered in the receipt both in words and figures and it should bear the full signature of the Government servant receiving the payment and not mearly his initials. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amounts has been entered in the cash-book एवं नियम- 27A अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "A simple cash-book in form no. 2 should be kept in every office for recording in separate columns all moneys received by government servants in their official capacity, and their subsequent remittance to the treasury or to the Bank, as well as moneys withdrawn from the treasury of the Bank either by bills or by cheques, and their subsequent disbursements."

कार्यालय की लेखापरीक्षा अवधि 09/2014 से 09/2017 की " माहवार प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखा-अभिलेखों में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चयनित माहों की प्राप्तियों की जांच में रू 1,53,345/- की धनराशि को शामिल करते हुये उक्त अवधि में कुल रू 3,46,586/- की धनराशि विभागीय प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुई थी। इकाई को उक्त अवधि में R.T.I, T.C. शुल्क, आदित हेतु कुल रू 3,46,586/- की धनराशि विभागीय प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुई थी, आगे जांच में पाया गया कि प्राप्तियों हेतु कार्यालय द्वारा कोई सम्बन्धित रिकॉर्ड/रजिस्टर नही बनाए गए है और न ही इकाई द्वारा रोकड़ बही में इनकी प्रविष्टी प्राप्तियों (Receipts side) में की जा रही है, जिस कारण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कार्यालय की विभागीय प्राप्तियों (Departmental receipt) का आकलन नही किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया है कि "भविष्य में प्रविष्टि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा विभागीय प्राप्तियों के रखरखाव सम्बन्धित आपत्ति हेतु भविष्य में प्रकरणो पर अभिलेखों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा"।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्यालय द्वारा विभागीय प्राप्तियों सम्बन्धित प्रारम्भिक रिकॉर्ड नही बनाए जा रहे है और न ही इनकी प्राप्तियों को रोकड़ बही में दर्शाया गया है जो कि वित्तीय नियमो का उल्लंघन किया जाना दर्शाता है।

अतः कार्यालय द्वारा धनराशि रू 3.46 लाख की विभागीय प्राप्तियों की प्रविष्टी रोकड़ बही में नही किए जाना का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण	भाग-दो (अ)	भाग-दो (ब) प्रस्तर	STAN	TAN

प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	संख्या		
प्रथम लेखापरीक्षा				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय,

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, (चमोली), तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ विश्वनाथ खाली	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, चमोली	29.09.14 से 06.05.15 तक
2.	डॉ पी. एस मखलोगा	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, चमोली	07.05.15 से 13.06.17 तक
3.	डॉ दिनेश चन्द्र नैनवाल	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, चमोली	14.06.17 से 28.07.17 तक
4.	डॉ पी. एस मखलोगा	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, चमोली	29.07.17 से 03.08.17 तक
5.	डॉ ए.के. अवस्थी (कार्यवाहक)	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, चमोली	03.08.17 से 03.08.17 तक
6.	प्रो0 के.एल. मालगुडी	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, चमोली	04.08.17 से अब तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, (चमोली), को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.